विकास और वंचित समूहों का सशक्तीकरण

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
25	विकास और वंचित समूहों का सशक्तीकरण	आत्म बोध, अन्तरवैयक्तिक कौशल, समस्या समाधान, सृजनात्मक सोच, समानुभूति	वंचित समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझना

अर्थ

भारत को 1947 में विदेशी शासन से मुक्ति मिली। इसके साथ ही गरीबी, निरक्षरता, भूख और सामाजिक भेद को दूर करने के लिये एक नया संघर्ष शुरू हो गया। सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा अनेक क्रियाकलाप शुरू किये गये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण विकास रणनीति का अभिन्न हिस्सा रहा है।

सामाजिक आर्थिक विकास का अर्थ:

- **सामाजिक विकास:** सामाजिक विकास से सामाजिक संस्थाओं में रूपान्तरण या परिवर्तन, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार के द्वारा समाज की क्षमताओं में वृद्धि होती है ताकि समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इससे सामाजिक भेदभाव पर नियंत्रण लगता है तथा समाज के प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक विकास:** सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। लेकिन आर्थिक विकास की अवधारणा के अन्तर्गत अन्य अनेक विषय भी आते हैं जैसे आर्थिक कल्याण, विकास के लाभों का समान वितरण; विशेषकर ये लाभ समाज के वंचित समूहों तक पहुँचने चाहिये।

सतत्पोषीय विकास

सतत् पोषीय विकास, विकास की एक व्यापक अवधारणा है जिसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि ''ऐसा विकास जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करे तथा आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से कोई समझौता न करे'' सतत् पोषीय विकास पर्यावरण हितेषी विकास होता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण व लाभ का समान वितरण करना है ताकि मनुष्य की कई पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

भारत में सामाजिक आर्थिक विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन से लेकर आज तक देश के विकास के लिये अनेक नीतियां और कार्यक्रम लागू किये जा चुके हैं। 1991 में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के पश्चात् भारत विश्व की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया। इसके कारण गरीबी में बड़ी तेजी से कमी आयी यद्यपि 2000-05 के आकड़ों के अनुसार अभी भी भारत में 27.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है।

भारत में सामाजिक आर्थिक विसंगति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विसंगतियों को कम कर सभी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना था। लेकिन सुस्पष्ट क्षेत्रीय विषमता अभी भी नजर आती है। कुछ अन्य मानवकृत विषमतायें जैसे प्रतिव्यक्ति आय, असंतुलित कृषि और औद्योगिक विकास, परिवहन व संचार के विस्तार व विकास सम्बन्धी विषमता आदि काफी ज्यादा खतरनाक हैं तथा इन चुनौतियों का मुकाबला करना आवश्यक है।

भारत में क्षेत्रीय विषमताओं के कारण

- ऐतिहासिक परिदृश्य
- भौगोलिक कारण
- प्राकृतिक संसाधानों का असमान वितरण
- राष्ट्रीय बाजार व व्यवसायिक केन्द्रों से दूरी
- आधारभूत संरचना की कमी
- ढ़ीला शासन, कानून और व्यवस्था की समस्या, प्राकृतिक संसाधनों का पूरा सदुपयोग न कर पाना, दूर दृष्टि व योजना की कमी।

समाज के वंचित समूह

भारत जैसे विविधता वाले देश में विकास के लाभों तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन अभी भी कई ऐसे सामाजिक समूह है जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित व कमजोर हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलायें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ सामाजिक न्याय सरकार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान की तीन तरफा रणनीति रही है।

(क) सामाजिक सशक्तीकरण

अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, स्कूली और उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये निशुल्क शिक्षण तथा हॉस्टल की सुविधा।

(ख) आर्थिक सशक्तीकरण

आय सृजन करने वाले अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। एन.एस.एफ.डी.सी., एन. एस.के.एफ.डी.सी., एन.एस.टी. सीडी.सी., एस.सी.डी.सी, ट्राइफेड आदि कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो अनुसूचित जाति और जनजातियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

(ग) सामाजिक न्याय

आरक्षण के रूप में सकारात्मक भेद शुरू किया गया है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में सीटें आरक्षित की गयी हैं।

महिला सशक्तीकरण

भारत का संविधाान लैंगिक भेदभाव को निषिद्ध करता है और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में स्वीकृत लक्ष्य तथा धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं:

(क) आर्थिक सशक्तीकरण

- महिलाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि वे औद्योगिक क्षेत्रों जैसे सूचना टेक्नोलॉजी, इलैक्ट्रोनिक, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।
- सहायता सेवायें जैसे बच्चों की देखभाल, तथा कार्यस्थल पर क्रेच आदि की व्यवस्था

(ख) सामाजिक सशक्तीकरण

- शिक्षा तक समान पहुंच तथा लड़कियों को विशेष लाभ
- जीवन के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना
- घरेलू और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम

(ग) राजनीतिक सशक्तीकरण

73वें व 74वें संविधाान संशोधन 1992 के द्वारा महिलाओं को ग्रामीण और शहरी निकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये यह मील का पत्थर है।

सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम

सर्वशिक्षा

इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार से हैं:

- राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, 1988 के द्वारा 15 से 35 वर्ष तक के प्रौढ़ों को साक्षर करने का प्रयास किया गया।
- 2001 में शुरू किये गये सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक विद्यालयों में दाखिल करना।
- मध्यहान भोजन के द्वारा पोषण। 86वें संविधान संशोधन 2002 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम 2010 में लागू हुआ।

सर्व स्वास्थ्य

वर्ष 2000 तक सभी के लिये स्वास्थ्य का लक्ष्य सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तराष्ट्रीय बाल शिक्षा फंड के तत्वावधान में ऊलमा ऊत्ता में 1978 में स्वीकार किया गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान और इससे सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम जैसे जननी सुरक्षा योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना आदि अनेक योजनायें शुरू कीं।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. सामाजिक–आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है?

प्र. कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिये कदम उठाने की क्यों आवश्यकता है? अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सशक्तीकरण के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का वर्णन कीजिए।

प्र. महिला सशक्तीकरण क्यों आवश्यक है? इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?